भारत में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

डॉ कपिल देव
स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू

Email : kapilshastri.ju@gmail.com

लैंगिक समानता और लैंगिक समानता आज वैश्विक विकास बहस में प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं। भारत में, हालांकि संविधान अपने विभिन्न अनुच्छेदों जैसे 14, 15, 23, 29, 30 और 42 के माध्यम से महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है, भारतीय महिलाओं का उत्पीड़न जारी है और उन्हें बुनियादी संसाधनों से लेकर अस्तित्व तक लगभग हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि यह सच है कि भारतीय महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार जैसे कुछ क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रभाव में उनका वर्चस्व बना हुआ है।

आज भारतीय महिलाओं के लिए दुविधा यह है कि भारतीय संविधान के उदार प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के बावजूद गंभीर असमानताएं बनी हुई हैं। इस प्रकार, महिलाओं को सशक्त बनाने की सख्त आवश्यकता है और शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है, हालांकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। प्रस्तुत लेख में सदियों से भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जो महिलाओं को वास्तविक अर्थों में सशक्त बना सकती है। नारी समाज में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है। इसलिए उसकी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम कर सके।

प्रस्तुत पेपर को तीन भागों में बांटा गया है:-

I. अतीत में भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा प्रणाली।

II. स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने के प्रावधान।

III. भविष्य में शिक्षा के माध्यम से भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव।

इस पत्र का तर्क है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए थे। यह पेपर आज भारत में महिलाओं के भीतर 'जीवन कौशल' विकसित करके उनके लिए शिक्षा के भविष्य में वृद्धि के लिए सुझाव भी देता है।

भाग १

अतीत में भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा प्रणाली

भारत में वैदिक काल में, समाज के उच्च वर्गों में, लड़कियों की पवित्र दीक्षा (उपनयन) आम थी और वे शिक्षा के एक नियमित पाठ्यक्रम से गुजरती थीं। परिणामस्वरूप, कुछ लोगों ने धर्मशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त की; और काफी संख्या में महिलाएं शिक्षण करियर का अनुसरण करती थीं। इस काल में महिला विद्वान थीं जिन्होंने शिक्षा में योगदान दिया। इनमें से कुछ थे अपला, सरना, उर्वशी, यामी, घोसा, इंद्राणी, सरना, गुहू और शारदा।

उत्तर-वैदिक काल में आश्रम दूर-दराज के वन क्षेत्रों में स्थित थे और इसलिए सुरक्षा उद्देश्यों के लिए महिला विद्वानों को इन वनों में नहीं भेजा जाता था। महिलाओं को घर पर शिक्षा प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई। सामान्य तौर पर लड़कियों को अनौपचारिक शिक्षा बड़े भाइयों, माता-पिता और विद्वान अतिथियों से प्राप्त होती थी। हालाँकि लड़कियों को आश्रम में नहीं भेजा जाता था, लेकिन साधु परिवारों में, आचार्य की पत्नी (गुरु- पत्नि) और उनकी बेटियों आदि सहित घर की कुछ महिला सदस्य रहती थीं। उदाहरण के लिए, राजा द्रुपद ने एक विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया। अपनी पुत्री द्रौपदी को बृहस्पति अर्थशास्त्र की शिक्षा दी। गांधार राजा के राजकुमार शकुनि और गांधारी (शकुनि की बहन) दोनों ही अर्थशास्त्र में पारंगत थे। स्त्रियाँ ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाने और सुनने में बहुत रुचि लेती थीं। यह न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि यह उनके लिए ज्ञान का साधन भी था। इस प्रकार बृहन्नल (राजा विराट के राज्य में भेष में एक महिला के रूप में अर्जुन द्वारा अपनाया गया नाम) भी विभिन्न प्रकार का वर्णन करता था। राजा विराट के सेराग्लियो में लोगों का मनोरंजन करने के लिए दिलचस्प कहानियाँ [2]। चूँकि महिलाओं को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, उत्तर वैदिक काल में लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बिगड़ती प्रवृत्ति थी।

ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह के रूप में अस्तित्व में आए बौद्ध और जैन धर्म ने समाज में महिलाओं को एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान देने की कोशिश की, और इसलिए कई महिलाओं ने शिक्षकों और विद्वानों के रूप में गौरव हासिल किया। नन, बौद्ध मठों का एक हिस्सा थे। हालांकि, उन्होंने खुद को प्रचारकों के रूप में अलग नहीं किया। ननरी लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी से प्रचलन से बाहर हो गए थे, फा हिएन और युआन चुआन, जिन्होंने भारत का दौरा किया और बौद्ध धर्म का विस्तृत विवरण दिया है, उन्होंने बौद्ध भिक्षुणियों के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इसलिए 300 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान स्त्री शिक्षा को बौद्ध धर्म से कोई मदद नहीं मिली। बौद्ध धर्म के घटते प्रभाव के साथ, महिलाओं की शैक्षिक स्थिति और भी खराब हो गई और मनु के कानून के अनुसार अस्थिर बनी रही, जिन्होंने देखा कि एक

युवती को उसके पिता, पत्नी को उसके पति और विधवा को उसके द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। बेटों। इस प्राचीन हिंदू काल पर भी पितृसत्ता के सत्तावादी शासन के विकास का आरोप लगाया गया था।

इस युग में महिलाओं की स्थिति में सुधार का एकमात्र क्षेत्र मालिकाना अधिकार था; अन्यथा वह हारती रही। विधवा के अपने पति के हिस्से को विरासत में पाने के अधिकार को अंततः पूरे देश में 1200 ए.डी. [1] तक मान्यता मिली।

भारत के मुस्लिम शासक आमतौर पर शिक्षा में गहरी रुचि रखते थे। मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को मकतब और मदरसे के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। मकतब प्राथमिक विद्यालय थे जो अक्सर मस्जिदों से जुड़े होते थे और मदरसे शिक्षा के उच्च विद्यालय थे। कुछ मदरसों ने विश्वविद्यालयों का दर्जा हासिल किया। हालाँकि, लड़कियों के लिए कोई मकतब और मदरसे नहीं थे। शायद जनसंख्या के महिला वर्ग को शिक्षित करना वांछनीय और आवश्यक नहीं समझा गया। अमीरों और राजघरानों की लड़कियों की शिक्षा घर पर ही होती थी ।

[3] राजघराने में अनेक महिला विद्वान मिलीं परिवार। इनमें से कुछ सफल शासक भी बने, जैसे रजिया सुल्तान, चांद बीबी और नूरजहाँ।

हालाँकि, घोर के मोहम्मद के आक्रमण और भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के बीच की अवधि के दौरान, भारतीय महिलाओं की स्थिति आम तौर पर बिगड़ती गई।

भारत के असंख्य आक्रमणों और युद्धों के साथ महिलाओं को एकांत में रखना सुरक्षित माना जाता था। यह पर्दा प्रथा की शुरुआत भी थी। चल रहे राजनीतिक संघर्ष ने जीवन को बहुत अनिश्चित और असुरक्षित बना दिया। युवा लड़कियों की सुरक्षा माता-पिता के लिए एक समस्या बन गई और इसने कन्या भ्रूण हत्या, बाल-विवाह, सती आदि जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया। इस अवधि को महिला शिक्षा के संबंध में 'अंधेरा काल' कहा जा सकता है।

मुस्लिम काल के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रभुत्व की स्थिति ग्रहण की। कंपनी के शासन के दौरान लड़कियों के लिए अलग से राज्य के स्कूल नहीं थे, और शायद ही कोई लड़की लड़कों के स्कूलों में जाती थी। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई मिशनरियों ने अपनी ईसाई धर्मांतरित लड़कियों को ही शिक्षित करने के लिए स्कूल शुरू किए। लेकिन बाद के चरण में उन्होंने गैर-ईसाई लड़कियों के लिए बंगाल, मुंबई और चेन्नई में भी स्कूल खोले। मिश्रित वर्गों के प्रति सदियों पुराने पूर्वाग्रह के कारण, इन मिशनों ने महिला शिक्षकों द्वारा संचालित जनाना स्कूल (महिला) भी शुरू किए, जिनमें केवल लड़कियों को ही प्रवेश दिया जाता था। गर्ल्स स्कूल शुरू करने के मिशन स्कूल के 2 निश्चित उद्देश्य थे [3]:

1. शिक्षित लड़कियां भविष्य में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना करेंगी।
2. इनमें से कई शिक्षित लड़कियां धर्मांतरित हो जाएंगी और ईसाई धर्म के प्रसार के लिए उपयुक्त साधन होंगी।

चार्ल्स वुड के डिस्पैच 1854 ने इन प्रयासों को बहुत प्रोत्साहन दिया। उस समय चेन्नई में 256, मुंबई में 65, बंगाल में 288 और उत्तर पूर्वी प्रांतों में 17 बालिका विद्यालय थे। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने बड़े सार्वजनिक कोष की सिफारिश की महिला शिक्षा के लिए क्योंकि यह अत्यंत पिछड़ी स्थिति में थी। यूरोपीय समुदायों, ब्रह्म समाज, पारसियों और भारतीय ईसाइयों के निजी प्रयासों में भी तेज वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप 1901-02 के दौरान 12 कॉलेज, 467 माध्यमिक विद्यालय और लड़कियों के लिए 5,268 प्राथमिक विद्यालय थे। लेकिन सभी शिक्षण संस्थानों में कुल लड़कियों का नामांकन 447,470 ही था। लेकिन जल्द ही निष्क्रिय उदासीनता सक्रिय सहानुभूति में बदल गई, क्योंकि अब माता-पिता अपनी बेटियों को शिक्षित करना चाहते थे। 1904 में, श्रीमती एनीन बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के आधुनिक स्कूल में लड़कियों को लड़कों से अलग पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना था। 1916 में, दिल्ली में लड़कियों के लिए लेडी हार्डिंग के नाम पर पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। 1917 में, 12 कला महाविद्यालय, चार व्यावसायिक महाविद्यालय और लड़कियों के लिए 166 माध्यमिक विद्यालय थे।

ब्रिटिश सरकार ने भी अब लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक उदार नीति अपनाई और कई योजनाएं शुरू की गईं। राजा राम मोहन राय, एनीन बेसेंट, सर सैयद अहमद खान जैसे कई नेताओं ने महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की और उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सामाजिक-आर्थिक आंदोलन ने इन अवधारणाओं को और समर्थन दिया और इन सुधारवादी आंदोलनों ने उन महिला लोगों में एक नया जागरण लाया जिन्होंने शिक्षा पर नए विचारों को आत्मसात करना शुरू किया। [4]

भाग २ :

स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं को शिक्षित करने के प्रावधान

स्वतंत्र भारत में महिलाओं को 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने के माध्यम से पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान में विभिन्न लेख विशिष्ट प्रावधान करते हैं जो महिलाओं को गारंटी देते हैं। पुरुषों के समान अधिकार राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक जीवन के क्षेत्रों को कवर करते हैं।

महिला अधिकारिता और भारतीय संविधान

- अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है

- अनुच्छेद 15(3)- का तर्क है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

• अनुच्छेद 16(1) धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के बावजूद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के बारे में बात करता है।
• अनुच्छेद 39 (ए) में कहा गया है कि सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है।
• अनुच्छेद 42- काम की मानवीय स्थितियों और मातृत्व अवकाश को विस्तृत करता है।
• अनुच्छेद 51(ए)(ई) इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।
• 1955 के हिंदी विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ा दिया है।
• हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम महिलाओं को चाहे अविवाहित हो या विवाहित, बच्चा गोद लेने की अनुमति देता है।

इस प्रकार, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान को अपनाने के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए।

महिला सशक्तिकरण और पंचवर्षीय योजनाएं

भारत सरकार ने भी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान किए। हर योजना में महिला उत्थान के लिए कदम शामिल थे।

• प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) ने एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की जो महिलाओं की समस्याओं को देखता है।
• द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) ने महिला मंडलों के माध्यम से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए विकास प्रक्रिया निर्धारित की।
• तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना (1961-74) में महिलाओं की शिक्षा और मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं पर भी जोर दिया गया।
• 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) ने महिलाओं को उनकी आय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
• छठी पंचवर्षीय योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देने के साथ एक बहु-विषयक दृष्टिकोण का सुझाव दिया।
• 7वीं पंचवर्षीय योजना महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य पर केंद्रित थी।
• आठवीं पंचवर्षीय योजना ने महिला विकास से महिला सशक्तिकरण की ओर बदलाव किया और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को लाभ प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया।
• नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक रणनीतिक उद्देश्य होना चाहिए। योजना मानती है कि सभी विकास क्षेत्रों से कम से कम 30% धन महिला सशक्तिकरण की ओर प्रवाहित होना चाहिए।
• 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति (2001) को सकारात्मक कार्रवाई में बदलकर महिलाओं को सशक्त बनाना है।
• 11वीं पंचवर्षीय योजना (2001-2012) ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के कल्याण के बारे में बात की, विशेष रूप से पांच प्रमुख क्षेत्रों यानी आय, गरीबी, शिक्षा, महिलाओं, बच्चों के बुनियादी ढांचे और सरकार में।

महिलाओं की उन्नति लाने और उन्हें राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति (2001) को अपनाया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं में कई संवैधानिक प्रावधानों और निर्देशों के अलावा, विभिन्न समितियां का गठन किया जिसने महिला शिक्षा के लिए सकारात्मक सिफारिशें दीं। इनमें से कुछ की चर्चा नीचे की गई है-

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) द्वारा यह अनुग्रह किया :

• महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाया जाना चाहिए।
• महिलाओं को बुद्धिमान शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।
• महिलाओं के लिए नए कॉलेज स्थापित किए जाएं

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)

इसमें महिला शिक्षा पर कोई अलग अध्याय नहीं था। हालाँकि कुछ प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ स्थिति का विश्लेषण किया गया था। आयोग के अनुसार महिला शिक्षा से निपटने का कोई विशेष औचित्य नहीं था क्योंकि पुरुषों के लिए खुली हर प्रकार की शिक्षा महिलाओं के लिए भी खुली होनी चाहिए। इसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को घर और समुदाय के साथ निकटता से जोड़ा जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति (1958-59)

कमिटी ने सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में दाखिला लेने वाली लड़कियों के माता-पिता को रियायतें दी जानी चाहिए। सभी लड़कियों को मध्य स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर लड़कियों को वाणिज्य, इंजीनियरिंग, कृषि और चिकित्सा में पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कोठारी आयोग (1964-66)

यद्यपि कोठारी आयोग ने महिला शिक्षा पर एक अलग विषय शामिल नहीं किया, लेकिन उसने सिफारिश की कि महिलाओं की शिक्षा को एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में माना जाना चाहिए। इसमें लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बीच मौजूदा अंतर को पाटने की बात कही गई। इसने सिफारिश की कि लड़कियों की शिक्षा के वित्तपोषण के लिए विशेष धनराशि निर्धारित की जाए और महिला शिक्षा में तेजी लाई जाए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में; छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाए और छात्राओं के लिए उपयुक्त एवं किफायती छात्रावास की व्यवस्था की जाए।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई 1986)

एनपीई ने परिकल्पित किया कि शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए एक रणनीति का उपयोग किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली होगी:

(1) महिला सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाएं

(2) पुन: डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से नए मूल्यों के विकास में योगदान दें।

(3) महिलाओं के अध्ययन को विभिन्न पाठ्यक्रमों के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद महिला अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पूरी व्यवस्था को तैयार करने के लिए काफी प्रयास किए गए।

भाग ३

भविष्य में शिक्षा के माध्यम से भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव :

अपने उद्घाटन भाषण में, यूनेस्को के महानिदेशक, रेणु महू ने शिक्षा मंत्रियों के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में सही टिप्पणी की :

“लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच भी शिक्षा के मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। आर्थिक प्रगति की आवश्यकताएं भी इसे आवश्यक बनाती हैं।"

इस प्रकार भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, हमें उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है और इसके मापदंडों में शामिल हैं:

• शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक महिला में सकारात्मक आत्म-छवि और आत्मविश्वास का निर्माण करना।

• गंभीर रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना

• समूह सामंजस्य बनाना और निर्णय लेने और कार्रवाई को बढ़ावा देना

• सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करना

• समाज में बदलाव लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

• आर्थिक स्वतंत्रता के लिए साधन उपलब्ध कराना। सशक्तिकरण की नीति तभी लागू की जा सकती है जब महिलाएं स्वयं ऐसा करने की इच्छा रखें। इसलिए शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। शिक्षा, समाज और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से मान्यता देकर महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाने में भी मदद कर सकती है।

शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें जीवन कौशल विकसित करने की शिक्षा दी जा सकती है। जीवन कौशल वे क्षमताएं, दृष्टिकोण, ज्ञान और व्यवहार तकनीक हैं जिन्हें समाज में सफलता के लिए सीखा जाना चाहिए।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन कौशल शिक्षा महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक शक्ति के साथ समाज के साथ बेहतर तरीके से सामना करने के लिए सशक्त बनाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, "जीवन कौशल अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती हैं" [5] यूनिसेफ के अनुसार - जीवन कौशल "एक व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास दृष्टिकोण को तीन क्षेत्रों, ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल के संतुलन को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" शिक्षा, महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर सकती है यदि यह लड़कियों में उनके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है ताकि वे जीवन की वास्तविकताओं का सामना कर सकें। जीवन कौशल के लिए शिक्षा इस प्रकार महिलाओं को ज्ञान सीखने और उपयोग करने और तर्क और विश्लेषणात्मक शक्ति विकसित करने में सक्षम बनाएगी। जीवन कौशल शिक्षा प्रत्येक समस्या को हल करने में तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करेगी, आत्म जागरूकता कौशल में सुधार, तनाव से निपटने के कौशल, समस्या समाधान कौशल सीखने, सहानुभूति विकसित करने और आत्म सम्मान बनाने में मदद करेगी [6]। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित कौशल विकसित किए जा सकते हैं: सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और भावनात्मक कौशल शिक्षा सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद कर सकती है जिसमें संचार कौशल शामिल हैं। इन कौशलों में मौखिक/गैर-मौखिक कौशल शामिल हैं। सक्रिय रूप से सुनना, राय व्यक्त करना और सुझाव देना, राय देना और भाषा कौशल देना।

संचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उपयोग व्यक्तियों द्वारा विचारों की जानकारी और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसलिए यह महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार है। सहानुभूति एक और कौशल है जिसे शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह कल्पना करने की क्षमता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए जीवन कैसा है। यह दूसरों की जरूरतों और परिस्थितियों को समझने की क्षमता और सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक विविधता में सुधार करने की क्षमता भी है। इससे महिलाओं में सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। सहयोग और टीम वर्क एक और कौशल है जिसे शिक्षा के माध्यम से

विकसित किया जा सकता है। महिलाओं को समाज में अच्छी तरह से समायोजित करने के लिए प्रेरित करने, कौशल को प्रभावित करने, किसी की क्षमता का आकलन करने और समूह में योगदान करने के लिए विकसित किया जा सकता है।

संज्ञानात्मक कौशल से तात्पर्य मस्तिष्क के विकास से संबंधित कौशल से है। इनमें निर्णय लेने का कौशल, एक महत्वपूर्ण सोच कौशल शामिल है जिसका अर्थ है सूचना और अनुभव का विश्लेषण करने या योग्यता, मूल्यों, सामाजिक मानदंडों का विश्लेषण करने की क्षमता। रचनात्मक सोच चीजों को नए तरीके से करने और नए विचारों के निर्माण की क्षमता है। निर्णय लेने का कौशल सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। समस्या समाधान उन कौशलों को संदर्भित करता है जो जीवन की समस्याओं से रचनात्मक रूप से निपटने में मदद करते हैं।

भावनात्मक कौशल महिलाओं को समस्याओं को अच्छी तरह से समायोजित करने और स्रोतों को समझने और उन्हें रचनात्मक रूप से हल करने में मदद करेंगे। इन कौशलों में नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण को बढ़ाने वाले कौशल, आत्म सम्मान / आत्मविश्वास निर्माण कौशल, अधिकारों के बारे में आत्म जागरूकता, ताकत, कमजोरी, लक्ष्य निर्धारण कौशल, आत्म मूल्यांकन, भावनाओं के प्रबंधन के लिए कौशल, क्रोध प्रबंधन, भावनाओं को नियंत्रित करना, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच विकसित करना शामिल है। जीवन और विश्राम तकनीक की ओर।

शिक्षा को महिलाओं को न केवल ज्ञान का निर्माण करने में मदद करनी चाहिए, बल्कि समाज में अच्छी तरह से समायोजित करने में भी सक्षम होना चाहिए। महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाना चाहिए कि वे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकें। 7 नवंबर, 1967 को संयुक्त राष्ट्र ने 'घोषणा' को अपनाया महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का उन्मूलन'। अनुच्छेद 3 शिक्षा के महत्व को निर्धारित करता है: "जनमत को शिक्षित करने और पूर्वाग्रह के उन्मूलन और प्रथागत और अन्य सभी प्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय आकांक्षाओं को निर्देशित करने के लिए सभी उचित उपाय किए जाएंगे जो महिलाओं की हीनता के विचार पर आधारित हैं"।

सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक शक्ति में वृद्धि से है। सशक्तिकरण बंदूक, तलवार या भाले से जुड़ा नहीं है। बल्कि यह शिक्षा, ज्ञान, कौशल और रोजगार की शक्ति है। सशक्तिकरण अधिकार प्राप्त करने, स्वयं को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति में वृद्धि से है। इसका अर्थ है उसे शक्तिशाली बनाना। यह अधिकार प्राप्त करने, स्वयं को विकसित करने और स्वयं को तय करने की एक प्रक्रिया है। एम्पावरमेंट एम 'पॉवरमेंट है-सशक्तिकरण के लिए तीन एम हैं यानी मनी पावर, माइंड पावर और बाहुबल। इसलिए महिला सशक्तिकरण मूल रूप से एक ऐसे वातावरण का निर्माण है जहां महिलाएं अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं।

भारत सरकार द्वारा 'स्वयं सहायता' कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो आर्थिक रूप से टिकाऊ स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद करते हैं। ये एनजीओ द्वारा प्रायोजित हैं। एशियाई महिला अधिकार शिक्षा संस्थान भी विशेष रूप से शिक्षा में महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में मदद करता है।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को शिक्षित करना उनका अधिकार है। यह उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा। हालाँकि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि यह महिलाओं को सही निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए गंभीर रूप से सोचने के लिए सशक्त बना सके।

संदर्भ सूची

[1] अल्टेकर, ए.एस. हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति, एमएलबीडी, नई दिल्ली, 1995।

[2] गुप्ता, एन.एल., महाभारत में शैक्षिक आदर्श और संस्थान, मोहित प्रकाशन, नई दिल्ली, 1977।

[3] गुप्ता, एन.एल. (2000)। युगों के माध्यम से महिला शिक्षा। कॉन्सेप्ट्स पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली ISBN 81-7022-826-3।
[4] जैकलीन चाबौद; महिलाओं की शिक्षा और उन्नति, यूनेस्को, 1970।

[5] डब्ल्यूएचओ (2006)। जिनेवा स्कूलों में बच्चों और किशोरों के लिए जीवन कौशल शिक्षा।

[6] www.taughtfullearning.com

रिपोर्ट

• शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986: कार्य योजना, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली, नवंबर, 1986।
• शिक्षा की चुनौतियाँ। एक नीति परिप्रेक्ष्य, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, अगस्त 1985।